		हुक्म का तामील में जारी हुए
19/5/21	पत्रा[illegible] वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान [illegible] अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकीय [illegible] रखते है। पत्रावली दि 31.8.21 को पेश हो।	
31.8.21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 7.12.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट नोटिस [illegible]
2/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट रजलावता में आज पेश हुई। प्रार्थिया सोसर उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। संक्षेप मे वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रजलावता की कृषि भूमि खसरा सं. 801 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर वादीगण का विगत 50 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके कारण वादीगण कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्त के आधार पर इस भूमि के खातेदार आसामी बन चुके है। अत: निवेदन है कि उक्त भूमि का खातेदार आसामी वादीगण को घोषित किया जावे, तदनुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी आदि मे वादीगण के नाम का अंकन किया जावे। तहसीलदार नैनवां ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त विवादित भूमि किस्म बंजड़ सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जिसके 5 बीघा हिस्से पर सोसर w/o देवलाल, जगदीश s/o देवलाल कौम गूजर निवासी रजलावता द्वारा कब्जा कर रखा है। धारा-91 (P-15 मे जगदीश देवलाल के नाम 2 बीघा भूमि दर्ज है। हमने वाद पत्र, प्रस्तुत शपथ-पत्र प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं जवाब प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible]या। वाद पत्र	भरठा सोसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:49:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मैं बहस सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है भूमि सिवायचक है जिस पर वादीगण अतिक्रमी है। ऐसा कोई दस्तावेजी न्याय संगत एवं विधि मान्य सबूत वादीगण ने पेश नहीं किया है जिसके तहत वादीगण को खातेदारी अधिकार दिये जा सके। अतः वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:49:59 IST
Reason: SelfAttested